10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED.

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED.

31

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

निग/3616-II-15

1— गोकुल तनय भैयालाल तिबारी ,

2— मथुरा प्रसाद तनय चतुरे तिबारी ,

3— श्याम बिहारी तनय राजाराम तिबारी ,

4— ~~रामेश्वर तनय~~ रामशंकर तिबारी,

सभी— ग्राम खरगापुर, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

268

B.O.R.

2 6 OCT 2015

................आवेदकगण

वनाम

1— श्रीमति पूर्णिमा उर्फ रानू पत्नि मीनू सोनी ,

2— बृजभूषण, बृजकिशोर, केशोरीलाल, जगदीश, मनीराम तनय मुरलीधर ब्राम्हण , महिला नीमाबाई वेवा मुरलीधर ब्राम्हण ,

3— रामगोपाल, संतोष कुमार, संजय कुमार तनय परमानंद ब्राम्हण , महिला हीराबाई वेवा नंदकिशोर ब्राम्हण ,

5— श्रीराम , राजाराम पुत्र गोबिंद ब्राम्हण ,

6— कालिका, बिष्णु, राधे पुत्र गुंचे ब्राम्हण, महिला रतिबाई देवा गुंचे ब्राम्हण

7— बाबूलाल तनय जगन्नथ ब्राम्हण ,

8— प्रेमशंकर तनय नन्ने ब्राम्हण ,

9— परसुराम, रामनाथ, तनय रगनाथ ब्राम्हण

10— राजाराम , कैलाश तनय चतुरे ब्राम्हण ,

11— रामदयाल तनय भेयालाल ब्रामहण ,

12— चिंतामन , बुजभूषण, नारायण , जानकी तनय देबीचरण ब्राम्हण निबासी खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3676-दो/2015 जिला टीकमगढ़ गोकुल विरूद्ध पूर्णिमा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~03-01-2018~~ 03.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पटैरिया एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अनिल पाठक उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 69/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
	''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	
	4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.1.19
सदस्य